प्रेस नोट थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर दिनांक 18.06.2024

कूटरचित दस्तावेज द्वारा धोखाधड़ी करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी चौरी-चौरा के पर्यवेक्षण मे व थानाध्यक्ष चौरी चौरा के नेतृत्व में उ0नि0 सुनील कुमार मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 408/2023 धारा 419,420,406,467,468,471,120(B) भादवि से संबंधित वांछित अभियुक्त राजेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्तगण द्वारा अवैध व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर, अवैध जमीन की रजिस्ट्री कर वादी मुकदमा से 15 लाख रुपये ले लेने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर अभियोग उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण

मु0अ0सं0 408/2023 धारा 419,420,406,467,468,471,120(B) भादवि थाना चौरी चौरा गोरखपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राजेश कुमार पुत्र श्रीरामकृष्ण स्थाई पता ग्राम सैरो भैसा बाजार थाना बासंगाव जनपद गोरखपुर हाल मुकाम पता गिरधरगंज यादव टोला थाना कैन्ट जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. थानाध्यक्ष उ0नि0 आशीष कुमार सिंह थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर।
2. उ0नि0 सुनील कुमार थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर।
3. उ0नि0 राहुल राव थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर।